

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
मांग संख्या 39
उपभोक्ता मामले विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	बजट 2001-2002			संशोधित 2001-2002			बजट 2002-2003			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	9.45	48.28	57.73	8.10	48.24	56.34	8.38	46.48	54.86	
पूंजी	2.40	...	2.40	2.67	15.00	17.67	1.77	6.00	7.77	
जोड़	11.85	48.28	60.13	10.77	63.24	74.01	10.15	52.48	62.63	
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	0.28	5.11	5.39	0.28	5.50	5.78	0.20	5.57	5.77
उपभोक्ता मामले										
2. राष्ट्रीय परिक्षण गृह	3425	3.35	10.73	14.08	2.00	10.61	12.61	3.95	10.80	14.75
3. उपभोक्ता संरक्षण	3456	3.40	1.09	4.49	3.40	1.06	4.46	3.45	1.08	4.53
4. बाट और माप का विनियमन	3475	0.18	1.52	1.70	0.16	1.31	1.47	0.18	1.33	1.51
	5475	1.70	...	1.70	1.97	...	1.97	0.72	...	0.72
जोड़		1.88	1.52	3.40	2.13	1.31	3.44	0.90	1.33	2.23
5. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निराकरण आयोग	5475	0.50	...	0.50
6. बाजारों का विनियमन	3475	0.15	2.59	2.74	0.17	2.53	2.70	0.15	2.57	2.72
7. अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग (अंशदान)	3475	...	0.14	0.14	...	0.13	0.13	...	0.13	0.13
8. उपभोक्ता सहायता को सहायता (नाफेड)	3456	...	27.10	27.10	...	27.10	27.10	...	25.00	25.00
9. सुपर बाजार को ऋण	7475	15.00	15.00	...	6.00	6.00
जोड़-उपभोक्ता मामले		9.06	48.28	57.34	7.98	63.24	71.22	9.15	52.48	61.63
10. उपभोक्ता कल्याण निधि के तहत परियोजनाएं	3456	...	5.00	5.00	...	3.70	3.70	...	5.00	5.00
10.1 घटाइए-उपभोक्ता कल्याण निधि से पूरी की गई धनराशि	3456	...	-5.00	-5.00	...	-3.70	-3.70	...	-5.00	-5.00
	
उद्योग										
11. उपभोक्ता उद्योग	2852	2.09	...	2.09	2.09	...	2.09	0.45	...	0.45
12. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ हेतु परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एक मुश्त प्रावधान	4552	0.70	...	0.70	0.70	...	0.70	0.55	...	0.55
कुल जोड़		11.85	48.28	60.13	10.77	63.24	74.01	10.15	52.48	62.63
ग. आयोजना परिव्यय										
		विकास शीर्ष	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़
1. उपभोक्ता उद्योग	12860	2.09	...	2.09	2.09	...	2.09	0.45	...	0.45
2. उपभोक्ता संरक्षण	13456	9.86	...	9.86	8.78	...	8.78	9.80	...	9.80
जोड़		11.95	...	11.95	10.87	...	10.87	10.25	...	10.25
* शहरी मंत्रालय की मांगों में निर्माण कार्य के लिए किया गया प्रावधान शामिल है।										
मांग संख्या 83	13456	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10

- इसमें विभाग के सचिवालय व्यय के लिए व्यवस्था है।
- इसमें राष्ट्रीय परीक्षण गृह के लिए प्रावधान है।
- इसमें उपभोक्ता संरक्षण, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निराकरण आयोग के लिए प्रावधान है।
- इसमें बाट और माप एकक, क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशालाओं और भारतीय कानूनी माप-पद्धति संस्थान के लिए प्रावधान किया गया है। इसमें क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशालाओं के प्रमुख कार्यों और मशीनरी तथा उपस्कर हेतु प्रावधान भी शामिल है।
- इसमें वायदा बाजार आयोग (विदेशी सहायता प्राप्त स्कीमों में) से संबंधित स्थापना संबंधी व्यय के लिए प्रावधान है।
- इसमें वायदा बाजार आयोग (विदेशी सहायता प्राप्त योजना) से संबद्ध संस्थापन व्यय के लिए प्रावधान है।

- इसमें अंतर्राष्ट्रीय कानूनी माप पद्धति संगठन को अंशदान के लिए प्रावधान है।
- इसमें आवश्यक वस्तुओं की रियायती आपूर्ति पर 'नेफेड' को आर्थिक सहायता के लिए व्यवस्था है।
- सुपर बाजार के लिए ऋणों के लिए प्रावधान जो उसके वित्तीय संसाधनों की कमी पूरा करेगा।
- इसमें उपभोक्ता कल्याण निधि के अंतर्गत शासित योजनाओं के लिए प्रावधान किया गया है।
- इसमें भारतीय मानक ब्यूरो को नोएडा स्थित प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण के लिए तथा भारत की गुणवत्ता परिषद को अंशदान के लिए आयोजना सहायता का प्रावधान है।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र में क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशाला, गुवाहाटी में स्थापना के लिए एकमुश्त प्रावधान।